51/12.1.18

संख्या-——————/XXIV(7)/2018-28(2)15

प्रेषक,

अशोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री विकास/13225/2017-18, दिनांक 06 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) तथा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत निर्माणाधीन निम्न राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित तालिकानुसार कुल रू0 87.52 लाख (रू0 सत्तासी लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	योजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	अब तक स्वीकृत धनराशि	अवशेष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित
1	राजकीय महाविद्यालय, दोषापानी चौखुटा (नैनीताल) के भवन निर्माण कार्य। (SPA)	474.12	463.99	10.13	10.13
2	राजकीय महाविद्यालय, मानिला (अल्मोड़ा) के विज्ञान संकाय भवन निर्माण कार्य। (SPA)	492.08	485.54	6.54	6.54
3	राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) के भवन निर्माण कार्य। (SPA)	480.97	463.99	16.98	16.98
4	राजकीय महाविद्यालय, रायपुर के भवन निर्माण कार्य। (SPA)	490.89	485.63	5.26	5.26
5	राजकीय महाविद्यालय, थत्यूड़ के भवन निर्माण कार्य। (SPA)	493.57	463.99	29.58	29.58
6	राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी के लाईटफ्रेम स्ट्रेक्चर के निर्माण कार्य। (राज्य सैक्टर)	462.90	443.87	19.03	19.03
	कुल	**2894.53**	**2807.01**	**87.52**	**87.52**

2- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

क्रमशः................2/-

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय।

10– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं के सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

12– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

13– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जायेगी तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किन्ही भी कारणों से आगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 11 के पूंजीगत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–03–कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना/नये भवन निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निर्गत निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
अपर सचिव।

क्रमशः.....3/–

संख्या : 1072 (1)/ XXIV(7)/2018–28(2)15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5– सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8– वित्त अनु0–3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9– सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
उप सचिव।